(iii) Rapid expansion and improvement of physical infrastructure—power, oil. petroleum and renewable sources of energy, roads, transport, ports. airports. telecommunications and financial services.

(iv) Unveiling a National Water Policy so that no water goes waste and our water resources are cleaned up.

(v) Make India a global information Technology Power and one of the largest generators and exporters of software in the world within 10 years.

Goals of these Action Plans will further help employment generation.

In addition to the above, a high powered Task Force under the Chairmanship of Member (Planning Commission) has been constituted to suggest measures to create ten crore jobs in ten years. The Task Force has already had its first meeting on 16.2.99.

Annual estimates of additional employmet generated during 1992-93 and 1993-94 (latest .available) was between six and eight million.

महिला श्रमिकों के लिए कम मजदूरी

2103. **श्रीमती सरोज दुबे** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी हैं कि देश के अधिकांश भागों में असंगाठित क्षेत्र में काम करने वाली महिला श्रमिकों को पुरूषों की तुलना में काफी कम मजदूरी मिलती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रथा को रोकने के लिए कोई प्रभावी और ठोस उपाय करने जा रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारणा हैं?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) से (घ) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 उसी कार्य अथवा समान प्रकृति के कार्य के लिए महिलाओं को समान पारिश्रमिक के भुगतान की व्यवस्था करता हैं। केन्द्रीय सरकार के रेल प्रशासन, अथवा एक बैंकिंग कम्पनी के सम्बन्ध में, एक खान, तेलक्षेत्र अथवा प्रमुख बन्दरगाह अथवा केन्द्रीय सरकार अधिनियम के द्वारा अथवा अधीन स्थापित किसी निगम के प्राधिकार के द्वारा अथवा अधीन किए जाने वाले किसी रोजगार के संबंध में केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार है। दूसरे सभी नियोजनों के संबंध में राज्य सरकारें समुचित सरकारें हैं। अधिनियम के अन्तर्गत निरीक्षकों के रूप में अधिसृजित समुचित सरकार के अधिकारी निरीक्षण करते हैं तथा अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने वालों का पता लगने पर अभियोजन चलाते हैं। केन्द्रीय सरकार अधिनियम के क्रियान्वयन का प्रबोधन करती हैं।

नियोक्ताओं तथा कर्मकारों के प्रतिनिधि, संसद तथा गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों के प्रतिनिधित्व सहित केन्द्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता के अन्तर्गत एक सलाहकार समिति का गठन की हुई हैं। महिलाओं को नियोजित किए जाने, कार्य के घन्टों, नियोजन में अवसर बढाने की आवश्यकता तथा अंशकालिक नियोजन आदि के सम्बन्ध में सरकार को परामर्श देने के लिए सलाहकार समिति की समय-समय पर बैठक होती रहती हैं। अधिनियम के उपबन्धों के क्रियान्वयन का अवलोकन करने के लिए 21 राज्य सरकारों द्वारा इसी तरह के निकायों का भी गठन किया गया हैं।

Terms of Reference of National Commission on Labour

2104. SHRI E. BALANANDAN: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether the terms of reference of the proposed Second National Commission on Labour have been decided;

(b) if not, by when Government propose to enlist the views of the trade unions on the subject and decide the terms of reference of the said Commission; and

(c) if so, whether the Central trade Unions have been consulted in the matter[0]

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) Yes, Sir.